प्रेस विज्ञप्ति
2/07/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ने बिटुमिन के झूठे और फर्जी चालान जमा करने के मामले में जिसमें ठेकेदार को गलत तरीके से लाभ हुआ तथा झारखंड के सरकारी खजाने को नुकसान हुआ में एक ठेकेदार को दोषी ठहराया है। ईडी ने 31.03.2018 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष आरोपी मेसर्स कलावती कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और विजय कुमार तिवारी के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी और 26.06.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची ने उक्त आरोपी को धन-शोधन के एक मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

ईडी ने सीबीआई/एसीबी, रांची के द्वारा भा.दं.सं., 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स कलावती कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और विजय कुमार तिवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर व चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी द्वारा शुरू की गई जांच से पता चला कि मेसर्स कलावती कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, गढ़वा को "बालूमठ-हरहरगंज - पनकी रोड की विशेष मरम्मत कार्य के निष्पादन के लिए 1.32 करोड़ रुपये (लगभग) की अनुबंध कीमत पर एक ठेका दिया गया था। ईडी की जांच से पता चला कि कंपनी ने 13 बिटुमेन चालान प्रस्तुत किए, जिनमें से 55.41 लाख रुपये (लगभग) मूल्य के 224.25 मीट्रिक टन बिटुमेन को शामिल करते हुए 11 चालान नकली पाए गए। उन 11 नकली बिटुमेन चालान के खिलाफ कोई बिटुमेन की खरीद/आपूर्ति नहीं की गई थी।

ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में कहा गया है कि विजय कुमार तिवारी ने 13 बिटुमेन चालान प्रस्तुत किए हैं जिनमें से 11 चालान, जिनकी कीमत 55.41 लाख रुपये (लगभग) है, फर्जी थे, जिससे उन्हें गलत लाभ हुआ और झारखंड के सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इसके अलावा, आरोपी को जमानत देते समय माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उन्होंने संबंधित विभाग को लगभग 35.41 लाख रुपये जमा किए थे।

मुकदमे के बाद, विद्वान न्यायालय ने मेसर्स कलावती कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विजय कुमार तिवारी को पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय धन-शोधन के अपराधों का दोषी पाया। न्यायालय ने पीएमएलए, 2002 की धारा 8(5) के तहत अपराध की आय 20,00,647 रुपये को जब्त करने का भी आदेश दिया है ।